


279

403

सा.सि.अ.सतना/ 2017 क्र. 2983

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्र0-...../ 16-17



Rs 30/-

- 1- श्रीमती इन्द्रनिया पत्नी स्व0 अर्जुन दाहिया
- 2- संजय दाहिया पिता स्व0 अर्जुन दाहिया
- 3- अजय दाहिया पिता स्व0 अर्जुन दाहिया
- 4- कमलेश दाहिया पिता स्व0 अर्जुन दाहिया
- 5- शैलेन्द्र दाहिया पिता स्व0 अर्जुन दाहिया, सभी निवासी ग्राम कृपालपुर

तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0-----निगराकारगण

बनाम

रामलाल शर्मा तनय श्यामसुंदर शर्मा निवासी ग्राम कृपालपुर तहसील रघुराजनगर

जिला सतना म0प्र0-----गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक

वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना

के राजस्व प्र0क्र0 -59अ12/ 16-17 में पारित

सीमांकन पुष्टिकरण आदेश दिनांक 31.03.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

अधिक क्र. 5
श्री शैलेन्द्र दाहिया
द्वारा पेशा 30-8-17

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य-

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगराकार ने मौजा कृपालपुर तहसील रघुराजनगर में स्थित आराजी नं0 801 रकवा 0.06 डि0 आबादी

संजय दाहिया कमलेश -2-

279

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....तीन / निगा / सहा / 17 / 2983.....जिला.....सहा.....

.....श्री मती इन्द्र निया दाहिपा वगैरे.....विरुद्ध.....राम लाल शर्मा व अन्य.....

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....<u>श्रीलेन्द्र दाहिपा</u>..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>सहा</u> तहसील.....<u>रघुशंकरगट</u> के प्रकरण क्रमांक.....<u>59/37/2/16/17</u>..... में पारित आदेश दिनांक.....<u>31-3-17</u>..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर.....<u>सहा</u>..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक.....<u>5-3-19</u>..... को कलेक्टर.....<u>सहा</u>..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	


सदस्य